न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लालाराम बनाम गंगाराम वगैरह (337/2022)

पेशी 17/5/23

पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र बाबत् पोषणीय नहीं होने हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 02 को दिनांक 12.05.2023 को सुना गया।

अभिभाषक रेसपोडेन्ट संख्या 01,2 (प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता)ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट ने उक्त अपील न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा जारी स्थगन आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है जबकि अपीलांट ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी है जिसने अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर रखा है उन्ही तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष गलत व विधि विरूद्ध रूप से अपील प्रस्तुत की है जो किसी भी प्रकार से संधारण योग्य नही है। उक्त आदेश के विरूद्ध ही लालाराम व गंगाराम पुत्रान भैरू जाति जाट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष पूर्व में एक अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निदेशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की थी एवं शीघ्र निस्तारण बाबत् सख्त निर्देश प्रदान किए गये थे। माननीय न्यायालय द्वारा जारी पूर्व आदेश की पालना नहीं हो इस बाबत् वादी द्वारा गलत व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है जो ना तो अंतरिम आदेश की श्रेणी मे आती है ना ही इंटरोलॉकेटरी आदेश की श्रेणी में आती है व किसी भी प्रकार से अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नही है केवल मात्र जस्टिस को डिफिट करने के उद्‌देश्य से उक्त अपील माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालना किसी भी प्रकार से नहीं हो इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही की पत्रावली ही माननीय न्यायालय में तलब करवा ली गई जो पूर्णतयो गलत व विधि विरूद्ध है। माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अन्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता क्योंकि पूर्व आदेश से माननीय न्यायालय बाउण्ड है इसलिए प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारित योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील को बिना किसी प्रकार के आदेश/निर्देश पारित किये इसी स्तर पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है तथा प्रार्थना पत्र में अपील संख्या भी नहीं है तथा आदेश की दिनांक अंकित नही की हैं इसलिए प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है।अभिभाषक रेस्पोडेन्ट को अपने प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2022 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है उक्त आदेश से रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 अपीलांट के कब्जे काश्त में दखंल उत्पन्न कर रहे है इसलिए अपील प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुयी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने व कब्जे से बेदखल नहीं करने के आदेश से पाबंद नहीं किया गया हैं। अपील न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू के द्वारा प्रार्थना पत्र

लगातार

६६

अज अदालत राजस्व अपील प्राधि...

337/2022/220RTA

लालाराम V/s गंगाराम

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

तारीख	2022/337	
पेशी	श्री B.L.शर्मा	श्री हरीश साहू

लगातार

अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम संख्या 53/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2022 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से दिनांक 28.09.2022 को अपील प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.10.2022 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को शीघ्रतीशीघ्र के निर्देश दिये गए थे। निर्देशो की पालना नहीं हुई है। प्रार्थी अपने उज्र उस आदेश की पालना में विचारण न्यायालय के समक्ष उठा सकता है। अपील में फोर्स नहीं होने व अपील डिफेक्टिव होने के कारण 500/–रूपये कोस्ट पर खारिज की जाकर, विचारण न्यायालय को पत्रावली लौटायी जाकर 30 दिवस में निस्तारण के निर्देश दिये जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील में फोर्स नहीं व अपील डिफेक्टिव होने के कारण 500/–रूपये कोस्ट पर खारिज की जाकर, विचारण न्यायालय को पत्रावली लौटायी जाकर 30 दिवस में निस्तारण के निर्देश दिये जाते है। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। 500/–रूपये कोस्ट अभिभाषक संघ, दूदू के समक्ष जमा करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

Scanned with CamScanner